

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (21)/एम.ई/ग्रुप-1/2012


जयपुर, दिनांक: 21-6-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर गेस्ट्रोएन्डोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. भरत सपरा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से




(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(15)एमई/ग्रुप-1/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 21/6/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी के तहत पदोन्नत पद	डीएसीपी के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. (श्रीमती) मधु भाट (पाटनी)	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
2.	डॉ. इन्द्रा भाटी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
3.	डॉ. (श्रीमती) अनिता सिमलोट	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
4.	डॉ. नुपुर लोरिया	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
5.	डॉ. ओ.बी. नागर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
6.	डॉ. सुधा गाँधी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
7.	डॉ. हंसलता गहलोत	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
8.	डॉ. सीमा मेहता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
9.	डॉ. रीना पन्त	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
10.	डॉ. ज्योत्सना व्यास	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
11.	डॉ. ममता शर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
12.	डॉ. स्वाति कोचर	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.4.2017


आदेश से,


(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (04)/एम.ई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 21-6-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर टी0बी0 एण्ड चेस्ट विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. अटल विहारी श्रीवास्तव	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
2.	डॉ0 अनिल सक्सेना	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
3.	डॉ. सुमन खंगारोत	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
4.	डॉ0 माणक सी गुजरानी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास) 21/6/17
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक : 21-6-2017

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर पैथोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नत पद	डीएसीपी के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. नीना कासलीवाल	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
2.	डॉ. संध्या बोर्डिया	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
3.	डॉ. एस. आर. नेगी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
4.	डॉ. रजनी जोशी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
5.	डॉ. नौरंग लाल महावर	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2017-18	01.04.2017
6.	डॉ. नीलिमा अरोड़ा	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2017-18	01.04.2017
7.	डॉ. दीपिका हेमराजानी	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2017-18	01.04.2017
8.	डॉ. प्रमेन्द्र पचौरी	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2017-18	01.04.2017
9.	डॉ. सरोज पचौरी	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2017-18	01.04.2017

आज्ञा से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक : प. 1(14)एमई/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 21-6-2017

आदेश


राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा।

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नत पद	डीएसीपी के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. मृणाल जोशी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017

आज्ञा से,

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास) 21/6/17
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (12)/एम.ई./ग्रुप-1/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 21-6-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर रेडियो लोजिकल फिजिक्स विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. देवेश गुप्ता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (16)/एम.ई/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 21-6-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर न्यूरोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ दिनेश चन्द खण्डेलवाल	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (03)/एम.ई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 21/6/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर मनोरोग विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० ए० के० त्यागी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
2.	डॉ० आई. डी. गुप्ता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
3.	डॉ० संजय गहलोत	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
4.	डॉ० ललित कुमार बत्रा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
5.	डॉ० कमल कुमार वर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
6.	डॉ० डी. के. विजयवर्गीय	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
7.	डॉ० महेन्द्र जैन	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
8.	डॉ० भरत सिंह शेखावत	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
9.	डॉ० योगेश कुमार सतीजा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (12)/एम.ई/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 21-6-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर यूरोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० शिवम प्रियदर्शी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
2.	डॉ० रोहित अजमेरा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
3.	डॉ० मुकेश चन्द आर्य	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.04.2017
4.	डॉ० नचिकेत व्यास	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
5.	डॉ० निलेश कुमार जैन	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(7)एमई/ग्रुप-1/2013


जयपुर, दिनांक : 21/6/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर एनाटोमी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-


क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी के तहत पदोन्नत पद	डीएसीपी के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. लीनाराय चन्दानी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
2	डॉ. महिमा श्रीवास्तव	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2017-18	01.4.2017
3	डॉ. विलियम	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.4.2017

आदेश से,


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(7)एमई / ग्रुप-1 / 2013

जयपुर, दिनांक : 21/6/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उप नियम-5 के तहत एनाटोमी विशिष्टता के चिकित्सक शिक्षकों की डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु दिनांक 21.9.2015 व 22.9.2016 को आयोजित स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिशों को स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 15-6-2017 के द्वारा डॉ. विकास सक्सैना, सहायक आचार्य, एनाटोमी के प्रकरण में रिव्यू किया गया। स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिश अनुसार बैठक दिनांक 21.9.2015 एवं 22.9.2016 की सिफारिशों में से डॉ. सक्सैना की पदोन्नति रोके जाने संबंधी सिफारिश का विलोपन करते हुए डॉ. सक्सैना को उनकी पात्रता एवं योग्यता के अनुसार डीएसीपी स्कीम के तहत दिनांक 01.4.2015 से सह आचार्य पद पर एतद्वारा पदोन्नत प्रदान की जाती है।

आदेश से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव

